16. मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 52 के तहत बैंक गारंटी का प्रभाजन उस राज्य को होगा जिसके क्षेत्र में वह सोसायटी/व्यक्ति है, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गई है । किसी अन्य दशा में, प्रारम्भ में प्रत्याभूतियां उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य की होगी, जिन्हें दोनों राज्यों के आपसी सहमति से अथवा उसके अभाव में केन्द्र सरकार के आदेश व्दारा दो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजित किया जाएगा । म प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 52(अ) के तहत प्रत्याभूतियों का प्रावधिक प्रभाजन महालेखाकार द्वारा किया गया है, उसके अनुसार राज्य शासन के हिस्से की प्रत्याभूति दिनांक 31 अक्टूबर, 2000 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

कमांक	**विवरण**	**राशि**
1	संयुक्त स्टाक कम्पनी के पक्ष में	0.09
2	सहकारिता बैंक तथा सोसायटी के पक्ष में	4.34
3	नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	32.25
	योग	**36.68**

शेष प्रत्याभूतियों का प्रभाजन म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम,2000 की धारा 52(ब)के तहत् किया जाना है ।